तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/3774/2011/झुंझुनू** **राजस्थान सरकार बनाम दलीपसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थित :

श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उप राजकीय अधिवक्ता।
श्री दुर्गेश्वर शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी।

—

आदेश

दिनांकः— 14.02.2023

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की सपठित धारा 232 आर0टी0ए0 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 17.11.2009 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, खेतड़ी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 232 आरटीए के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बसई, तहसील खेतड़ी भूमि गत खसरा नंबर 182/3 रकबा 5 बीघा किस्म गैर मुमकिन नदी है जिसके हाल खसरा नंबर 363 रकबा 1.27 है0 जो जमाबंदी संवत् 2012 में गैर मुमकिन नदी दर्ज थी ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/3774/2011/झुंझुनू** **राजस्थान सरकार बनाम दलीपसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यह भूमि दिनांक 31.12.1967 को भू आवंटन से जमाबंदी संवत् 2031–2034 में गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है तथा सेटलमेन्ट में हाल खसरा नंबर 363 रकबा 1.27है0 अप्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई। वर्तमान जमाबंदी सन् 2005 में खसरा नंबर 363 रकबा 1.27है0 रेस्पो0 की खातेदारी में पिता के फौत होने से दर्ज रिकार्ड है। हाल खसरा नंबर 363 रकबा 1.27है0 जो गत खसरा नंबर 182/3 रकबा 5 बीघा से बना है जो गैर मुमकिन नदी का है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 28.07.2004 की अनुपालना में उक्त भूमि को दिनांक 15.08.1947 की स्थिति के रिकार्ड अनुसार बहाल किये जाने हेतु रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल को भिजवाया जावे । अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझूनु ने निर्णय दिनांक 17.11.2009 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हस्तगत रेफरेंस प्रकरण माननीय न्यायालय को प्रेषित किया है । हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि ग्राम बसई, तहसील खेतड़ी की भूमि गत खसरा नंबर 182/3 रकबा 5 बीघा किस्म गैर मुमकिन नदी है जिसके हाल खसरा नंबर 363 रकबा 1.27 है0 जो जमाबंदी संवत् 2012 में गैर मुमकिन नदी दर्ज थी । यह भूमि दिनांक 31.12.1967 को भू आवंटन से जमाबंदी संवत् 2031–2034 में गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है तथा सेटलमेन्ट में हाल खसरा नंबर 363 रकबा 1.27है0 अप्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई। वर्तमान जमाबंदी सन् 2005 में खसरा नंबर 363 रकबा 1.27है0 रेस्पो0 की खातेदारी में पिता के फौत होने से दर्ज रिकार्ड है। चूंकि हाल खसरा नंबर 363 रकबा 1.27है0, जो गत खसरा नंबर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर/3774/2011/झुंझुनू</u>** **राजस्थान सरकार बनाम दलीपसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	182/3 रकबा 5 बीघा से बना है जिसमें भूमि की किस्म गै0मु0 नदी दर्ज है । नदी, नाले, तालाबों (प्राकृतिक स्त्रोतों) की भूमि जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित है । इन भूमियों पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। ऐसी भूमियों को पूर्ववत रखे जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय ने डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार में निर्णय दिनांक 28.07.2004 में भी उल्लेख किया है । अतः उक्त भूमि बाबत् अप्रार्थी के हक में दर्ज खातेदारी निरस्त की जाकर विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में हुए अमल को निरस्त किया जावे तथा भूमि को पुनः गैर मुमकिन नदी के रूप में दर्ज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी के नाम भूमि पिता के समय से ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थी का उक्त भूमि पर लगातार कबज काश्त रहा है। यह नदी नहीं है तथा कभी भी नाला नहीं रहा है। उक्त भूमि कब्जा काश्त की जाती रही है। सेटलमेन्ट कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से गैर मुमकिन नाला दर्ज हो गया है। जिसे मौका स्थिति व कब्जा काश्त की जांच कर पूर्ण रिकार्ड को दुरूस्त कर दिया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.07.2004 को आधार बनाकर यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो इस पर लागू नहीं होता है। अतः रेफरेंस खारिज किया जावें। हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। चूॅकि राजस्व अभिलेख से विवादित भूमि का जैर आब	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/3774/2011/झुंझुनू** **राजस्थान सरकार बनाम दलीपसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नदी होना स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार ''गैर मुमकिन नदी'' किस्म की भूमि में राजस्व विधियों के अन्तर्गत किसी को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (i) निम्न प्रकार हैः– **"4. Land not available for allotment under these rules.-** The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely- (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955;" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 की उपधारा (ii) निम्न प्रकार हैः– **16. Land in which Khatedari rights shall not accrue.-** Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in- (ii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank; उक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि नदी/नाला/तालाब की भूमि अथवा नदी पेटा की भूमि की खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। इस प्रकार गैर मुमकिन श्रेणी नाला, नदी, नाड़ी, तालाब आदि की भूमि ना तो आवंटन योग्य है और ना ही उसका किसी के नाम नियमन हो सकता है। अतः अप्रार्थी की खातेदारी में विवादित आराजी विधि विरुद्ध दर्ज किया जाना प्रमाणित होता है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड़ अनुसार विवादित आराजी वर्तमान में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। पूर्व राजस्व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/3774/2011/झुंझुनू** **राजस्थान सरकार बनाम दलीपसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रिकोर्ड अनुसार विवादित भूमि की किस्म भूमि **गैर मुमकिन नदी** दर्ज है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि का अप्रार्थी के खाते में किया गया इंद्राज प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य एवं निरस्तनीय है। परिणामतः हस्तगत रेफेरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि गत खसरा नंबर 182/3 रकबा 5 बीघा, जिसके हाल खसरा नंबर 363 रकबा 1.27 है0 वाके ग्राम बसई, तहसील खेतड़ी में अप्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी को निरस्त किया जाता है तथा विवादित भूमि को पूर्वानुसार सिवायचक दर्ज कर उसकी किस्म गैर मुमकिन नदी अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(रामदयाल मीणा)** **सदस्य**	